कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठाठवाड़ी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि शोभाला जैतमाल जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध अशोक कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2366/2021 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 2366/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 द्वारा याचिकार्थी अशोक कुमार को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार तीन सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी के झुन्झुनूं जिले में कार्यरत रहने, अपने माता–पिता के अस्वस्थ होने एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि ठाठवाडी, खेतडी जिला झुन्झुनूं में यथावत या राउमावि राणासर, सरदारशहर जिला चूरू/राउमावि मलकसर, सरदारशहर जिला चूरू/राउमावि फोगा, सरदारशहर जिला चूरू/राउमावि बुकनसर बड़ा जिला चूरू अथवा राउमावि कीकासर जिला चूरू में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा अपनी पत्नी के झुन्झुनूं जिले में पदस्थापित होने के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति प्रभावी नहीं है जिसमें पति–पत्नी को एक ही स्थान पर/जिले में पदस्थापित रखा जावे। जहां तक याचिकार्थी द्वारा माता–पिता के अस्वस्थ होने के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है तो इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार पति–पत्नी/ माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अशोक कुमार/2366/2021/218 दिनांकः 10.03.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर संभाग, चूरू/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अशोक कुमार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि शोभाला जैतमाल जिला बाड़मेर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)